

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 06/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि.(अ) . – केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 24/2005 सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 जो सा.का.नि. सं. 122(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्या 39 के सामने स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर "अध्याय 74 के सिवाय कोई अध्याय" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा.सं. 334/2/2020-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 सा.का.नि. सं. 122(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 36/2019-सीमाशुल्क, तारीख 30 दिसंबर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो सा.का.नि. सं 964(अ) तारीख 30 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।